

सरकार जरिये पटवारी हल्का बीघोता तहसील राजगढ़ जिला अलवर

बनाम

गंगाधर पुत्र काना जाति मीना निवासी बीघोता तहसील राजगढ़ अलवर

अन्तर्गत धारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का सक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बीघोता द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई की गैरसायल गंगाधर पुत्र काना जाति मीना निवासी बीघोता ~~मीना~~ तहसील राजगढ़ जिला अलवर के द्वारा ग्राम बीघोता चारागाह राजकीय भूमि के आ0ख0न0 728/0.10, 729/0.37, 730/0.04 व 731/5.08 में से क्रमश रकबा 0.10 है0, 0.37 है0, 0.04 हे0 व 0.40 कुल अतिक्रमित रकबा 0.91 है0 पर गैहू की फसल काशत कर रबी सम्वत् 2078 में अतिक्रमण कर लिया है।

राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत गैरसायल को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस द्वारा तलब किया गया। गैरसायल गंगाधर पुत्र काना जाति मीना अनुपस्थित रहा गैरसायल की मंशा अतिक्रमण को कायम रखने की प्रतीत होती है। चूँकी रिपोर्ट पटवारी हल्का बीघोता के अनुसार राजकीय भूमि पर गैरसायल द्वारा अनाधिकृत रूप से सम्वत् 2078 में गैहू की फसल काशत कर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:- अतिक्रमी गंगाधर पुत्र काना जाति मीना निवासी बीघोता को आराजी ख0न0 आ0ख0न0 728/0.10, 729/0.37, 730/0.04 व 731/5.08 में से क्रमश रकबा 0.10 है0, 0.37 है0, 0.04 हे0 व 0.40 है0 कुल अतिक्रमित रकबा 0.91 है0 किस्म चारागाह पर वाके ग्राम बीघोता से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 1.82 की 50 गुणा में मु0 91.00/-रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावे। पटवारी हल्का व भू0अ0निरीक्षक को फसल को कब्जे राज लेकर नीलामी हेतु लिखा जावे। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों/पटवारी हल्का बीघोता को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट मय घटना बही की रिपोर्ट सहित पालना प्रस्तुत करे। आज दिनांक 08.02.2022 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।